कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक–1246/12–1, दिनांकः मसूरी, 24/9/2019।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,
थत्यूड़, टिहरी गढ़वाल।

विषयः– जनपद–टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड–जौनुपर अन्तर्गत रौतु की बेली से चलीधार मोटर मार्ग (कुल लम्बाई–2.00किमी0) के निर्माण हेतु वांछित 1.014 वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

सन्दर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय(उत्तर–केन्द्रीय), देहरादून की पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/226/2016/एफ0सी0/170, दिनांक 01–05–2019,एंव अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र सं0 3001/FP/UK/ROAD/22961/2016, दिनांक 06 मई, 2019

महोदय,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का उक्त सन्दर्भित पत्र (प्रति संलग्न) जो आपको सम्बोधित तथा इस कार्यालय को पृष्ठांकित है का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय(उत्तर–केन्द्रीय), देहरादून के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तें सं0 1 के कम में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय(उत्तर–केन्द्रीय), देहरादून की पत्र सं0 शुद्धि पत्र 8बी/यू.सी.पी./06/226/2016/एफ.सी./947, दिनांक 01–02–2019 तथा अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी के पत्र सं0 464/FP/UK/ROAD/22961/2016, दिनांक 09 मई, 2019 के के द्वारा ज़ारी निर्देशों के अनुपालन में विषयांकित कार्य हेतु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा निर्धारित देय धनराशियों का विवरण निम्न प्रकार है:–

क0सं0	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल(है0 में)/पौध	दर	देय धनराशि
1.	प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले ग्राम रौतु की बेली सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एंव 10 वर्षों तक रखरखाव।	2.028है0	3,06,531.00/है0	6,21,645.00
2.	एन0पी0वी0	1.014 है0	845000.00/है0	8,56,830.00
	योग :–			14,78,475.00

अतः उक्तानुसार आनलाईन चालान जनरेट कर देय धनराशि /धनराशियों के भुगतान हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 1 व 2 तथा अन्य शर्तों 3, 4, 5 एंव 6 की अनुपालन आख्या मय संलग्नकों सहित आनलाईन करते हुए संगृत दस्तावेजों/अनुपालन आख्या तीन प्रतियों में अग्रेतर कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–उक्तानुसार।

भवदीया

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 1246/दिनांकित।

प्रतिलिपि – निम्न को उक्त सन्दर्भित पत्रों के कम में सादर प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

Scanned by CamScanner